

पीठासीन अधिकारी :- श्योराम कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 180/2023

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :- 27.12.2023

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा विद्वा के आधार पर खारिज हो चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)